

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-11/अंघा०(स्था०)-04/2016-435.....(11) /पटना, दिनांक-27.04.2016

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 9780/2014, मुश्तरी बेगम एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-23.06.2014 को पारित न्यायादेश तथा उससे उद्भूत अवमाननावाद संख्या-3048/2014 में दिनांक-16.03.2016 तथा दिनांक-07.04.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार ऑपथालमिक सहायक, संयुक्त संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2011 के आलोक में नेत्र सहायकों को गैर शैक्षणिक पदों पर प्रोन्नति देने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक-26.04.2016 को हुई।

बैठक में लिए निर्णय के अनुसार वरीयता क्रम के तहत निम्न नेत्र सहायकों को तत्काल प्रभाव से ऑपथालमिक पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र० सं०	वरीयता क्रमांक	नेत्र सहायक का नाम	पदस्थापित स्थान
1	1	श्री अनुप कुमार सिन्हा	प्रा०स्वा०केन्द्र, बिक्रम, पटना
2	2	श्री अतुल कुमार मेहरोत्रा	रेफरल अस्पताल, शाहपुर, भोजपुर
3	3	श्री ओम प्रकाश कुमार केशरी	जिला चक्षू चलन्त इकाई, नालंदा
4	4	श्री प्रमोद कुमार	सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालंदा
5	7	श्री मोती लाल प्रसाद	सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली
6	11	श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह	सदर अस्पताल, नवादा
7	13	श्री जितेन्द्र कुमार	अतिविष्टि नेत्र विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र नगर पटना
8	14	श्री सुरेन्द्र कुमार	प्रा०स्वा०केन्द्र, कांटी, मुजफ्फरपुर
9	18	श्रीमती पुष्पा कुमारी	जिला चक्षू चलन्त इकाई, हाजीपुर वैशाली
10	22	श्रीमती मुस्तरी बेगम	रेफरल अस्पताल, नौबतपुर, पटना
11	23	श्री प्रमोद कुमार पाल	अतिविष्टि नेत्र विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र नगर पटना
12	27	श्री शिवशंकर पासवान	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवारीशरीफ, पटना
13	31	श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा	सदर अस्पताल, औरंगाबाद
14	32	श्री शंभु नाथ प्रसाद	रेफरल अस्पताल, मनीगाछी, दरभंगा
15	34	श्री फुलेन्द्र प्रसाद	प्रा०स्वा०केन्द्र, मुरलीगंज, मधेपुरा
16	37	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	प्रा०स्वा०केन्द्र, दानापुर, पटना

प्रोन्नत नेत्र सहायक वर्तमान पदस्थापित स्थान में रह कर पूर्व की भौति कार्य करते रहेंगे। नेत्र सहायको को दी गई यह प्रोन्नति बिहार ऑपथालमिक सहायक, संयुक्त संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2011 के स्थान पर प्रस्तावित संशोधित नियमावली के फलाफल से पूर्णतया प्रभावित होगी।

उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत आवेदिका श्रीमती मुश्तरी बेगम को प्रोन्नति के योग्य पाते हुए ऑपथालमिक पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई जबकि अन्य आवेदकगण द्वारा वांछित अर्हता पूरी नहीं करने के कारण प्रोन्नति के योग्य नहीं पाया गया।

इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(डा० के०पी० सिन्हा)

निदेशक प्रमुख,

(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य पारा मेडिकल)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-11/अंधा0(स्था0)-04/2016-435(11) पटना, दिनांक-27.04.2016

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, संचारी रोग, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, वित्त सांस्थिक शाखा, बिहार पटना (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप-सचिव, (स्थापना) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 अंजनी कुमार, अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, अंधापन स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना /संबंधित सिविल सर्जन, बिहार, /संबंधित नेत्र सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
27/4/16

निदेशक प्रमुख,

(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य पारा मेडिकल)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।